

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर, जिला गंगानगर

अनवान अमरीक सिंह आदि बनाम अमरजीत सिंह आदि  
 प्रकरण संख्या 58 / 2015 अन्तर्गत धारा 212 RTA

दिनांक	आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज
12 6/22	अधिवक्तागण उपस्थित। प्रकरण के मूलवाद में अप्राचीण के वारिसान की तलवी के अखबार प्रकाशन की प्रति पेश की गई है। कोई उपस्थित नहीं आया। नए की अधिवक्तागण पेशी तक बगई जाती है। पत्रावली दिनांक 10/01/23 को पेश है।
10/23	बार सच का कार्य स्थगित है श्री मान PO साहब <u>अपराधी प्रमाणित है</u> पत्रावली दिनांक 25/01/23 को पेश है।
25/23	बकील फरीकन उपस्थित श्री मान PO साहब <u>अपराधी प्रमाणित है</u> पत्रावली दिनांक 14/02/23 को पेश है।
14/23	अधिवक्तागण उपस्थित। अप्राची संख्या 1 ता 6 के वारिसान को सुफार कर 3 बार आवान लगवाई गई। कोई उपस्थित नहीं आया। अप्राची संख्या 1 ता 6 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए जाते हैं। अवाब शेर पेश नहीं करने पर बन्द किया जाता है। एकपक्षीय बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में जारी अस्था विधुद्वारा दिनांक 23/11/2015 मूलवाद के विधि तक अस्था की जाती है। पत्रावली निगीत होकर गम्बर से कथ होकर गम्बर नफरत है।



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
 श्री करणपुर